



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244684
CG-DL-E-25032023-244684

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1374]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945

No. 1374]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1427(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अप्रैल, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 तक; और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम, तिरुपतूर, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम जिलों के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिलों के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, और कल्लाकुरिची जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/01/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

S.O. 1427(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Kanchipuram, Tirupattur, Tiruvannamalai and Viluppuram districts, in addition to the already notified areas of the said districts, and in all the areas of Kallakurichi district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/01/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser